संख्या- 66/2025/821/छप्पन-2025-34/1994टी0सी0-1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2025

विषय: जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर के विस्तारीकरण हेतु कुल मूल्यांकित धनराशि का बतौर 25 प्रतिशत विनिमय शुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 62/ना0उ0नि0-2025/वाराणसी दिनांक 13 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-2038/सात-भू0सु0/2025 दिनांक 29 मार्च, 2025 के क्रम में जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर के विस्तारीकरण हेतु कुल मूल्यांकित धनराशि का बतौर 25 प्रतिशत विनिमय शुल्क की धनराशि रू0 3,79,09,750.00 (रूपए तीन करोड़ उनयासी लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन हेतु प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- जिलाधिकारी, वाराणसी के उक्त पत्र दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर के विस्तारीकरण के क्रम में ग्राम समाज की (नवीन परती, बंजर) भूमि का विनिमय लोक उपयोगिता की भूमि से किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के आलोक में कुल भूमि की मूल्यांकित धनराशि रू0 15,16,39,000.00 (रूपए पन्द्रह करोड़ सोलह लाख उनतालीस हजार मात्र) की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 3,79,09,750.00 (रूपए तीन करोड़ उनयासी लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) बतौर विनिमय शुल्क लेखा शीर्षक "0029-भू- राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" में उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर के विस्तारीकरण हेतु कुल मूल्यांकित धनराशि रू0 15,16,39,000.00 (रूपए पन्द्रह करोड़ सोलह लाख उनतालीस हजार मात्र) का बतौर 25 प्रतिशत विनिमय शुल्क की धनराशि रू0 3,79,09,750.00 (रूपए तीन करोड़ उनयासी लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 3,79,09,750.00 (रूपए तीन करोड़ उनयासी लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,79,09,750.00 (रूपए तीन करोड़ उनयासी लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-20/दस-2025-26, दिनांक 10 जुलाई, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या-66/2025/821(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

4- जिलाधिकारी, वाराणसी को उनके उक्त पत्र दिनांक 29 मार्च, 2025 के सन्दर्भ में।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-1.

7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।